न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 05/2025/प्रथम अपील

आशु सिंह पुत्र मान सिंह राठौड मु.पो. राजलिया, तहसील नांवा, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.) 341508

–अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर

–रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 17.03.25

1. यह अपील अपीलार्थी **आशु सिंह पुत्र मान सिंह** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **05.11.2024** में लोक सूचना अधिकारी से जिला कलेक्टर के प्रकरण सतर्कता समिति पीजी/सतर्कता/2018 प्रकरण संख्या 224 दिनांक 09.04.2018 के प्रकरण की सूचना जैसे (1) प्रार्थी के प्रार्थना–पत्रों की (2) न्यायालय सतर्कता समिति द्वारा की गई कार्यवाही की (3) उपखण्ड अधिकार, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी आदि के पत्राचार की (4) ऑर्डर शीट की (5) अंतिम निर्णय सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित सूचना चाही है।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **12.02.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना का

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी कार्यालय के पत्रांक सतर्कता/आरटीआई/2024/988 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील निस्तारित करने का श्रम फरमावें।

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा जरिये पत्रांक सतर्कता/आरटीआई/2024/988 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

(मुकुल शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर